

36/2024 परमेश्वरी देवी - लक्ष्मी देवी

दिनांक	आज्ञा पत्र
18-6-24	<p>गन्धर्वी पेश। दकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से रोष रेट्योर्डटस के रजिस्टर्ड नोटिस फेल कर अन्या आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रेट्योर्डटस के रजिस्टर्ड नोटिस फेल नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलतस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। गन्धर्वी फलत चुन्नर होकर न्याय से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">/ भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर</p>